झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,
सेक्टर–2, धुर्वा, राँची।

वाहन की निलामी हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सू०सं०– 105 दिनांक–15/01/2021

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जहाँ है, जैसा है की स्थिति में मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नांकित निष्प्रायोजित वाहन की नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र०सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	क्रय/ प्राप्ति का वर्ष	न्यूनतम निर्धारित मूल्य	वाहन पड़ाव स्थल
1	Jh01A2602	Tata Safari	2001	72,300	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची।

2. निविदादाता का नाम – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह –सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि –29.01.2021 (3:00 बजे तक)
4. नीलामी का स्थान/समय –मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग का कार्यालय परिसर दि0–29.01.2021 को 3:30 बजे (अपराह्न)
5. नीलाम किये गये वाहन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि –08.02.2021
6. निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विभागीय वेबसाईट www.ceo.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

ह०/– 15/1/2021
(के0 रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सचिव

सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,
सेक्टर–2, धुर्वा, राँची।

विभागीय वाहन की निलामी संबधी निविदा की शर्तेः–

1. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित कोई भी व्यक्ति विभागीय वाहन की नीलामी हेतु निविदा समर्पित नहीं करेंगे।
2. प्रत्येक वाहन हेतु पृथक–पृथक मुहरबंद निविदा प्रति वाहन रु0 5,000 (पाँच हजार) मात्र की जमानत राशि (अलग–अलग) बैंक ड्राफ्ट के साथ में "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड" के नाम से देय होगा।
3. मुहरबंद निविदा दिनांक–29.01.2021 तक कार्यालय अवधि में 2:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पास जमा किया जायेगा।
4. नीलाम किये जाने वाले वाहनों का निरीक्षण नीलामी की तिथि के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
5. नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी सम्पन्न होने के बाद नीलामी की राशि का 25% राशि जमा करना होगा (जमानत राशि को छोड़कर)।
6. वाहन विशेष हेतु एकल निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. सफल निविदादाता का जमानत राशि रु0 5,000 (पाँच हजार) मात्र लौटाई नहीं जायेगी, बल्कि निविदा मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी। अन्य बोली लगाने वाले की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
8. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम बोली नहीं लगाई जायगी। न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम बोली लगाने वाले की निविदादाता की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। बोली 1000 के क्रमिक बढ़ोतरी पर ही मान्य होगा।
9. नीलामी में सिर्फ निविदा भरने वाले प्रतिभागी ही भाग ले सकेंगे। प्रतिभागी को बोली के समय अपने पहचान के तौर पर कोई भी पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को रद्द करने/स्थगित करने का अधिकार होगा। नीलामी के दरम्यान किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
11. सफल निविदादाता को उक्त वाहन यथा स्थान/यथा स्थिति एवं उपलब्ध कागजात के आधार पर बोली की रकम में से जमा अग्रधन की राशि घटाने के पश्चात् शेष बची राशि नगद जमा कर अंतिम तिथि 08.02.2021 तक वाहन प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। वाहन के कागजातों की अद्यतनीकरण की जबावदेही सफल निविदादाता की होगी।

Sd/- 12/1/2021

(के0 रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सचिव

Reena